



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257611
CG-DL-E-01102024-257611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]
No. 269]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/अश्विन 8, 1946
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2024
मामला सं. एडी (ओआई) - 25/2024

विषय: चीन जन. गण. और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रेसोरसिनोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

- फा. सं. 6/27/2024-डीजीटीआर: अतुल लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के

समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें चीन जन. गण. और जापान (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रेसोरसिनोल (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद रेसोरसिनोल है।
4. विचाराधीन उत्पाद को 1,3-बेन्जीनडिऑल; 1,3-डाइहाइड्रॉक्सीबेन्जीन; 3-हाइड्रॉक्सीफेनॉल; रेसोर्सिन मेटा-डाइहाइड्रॉक्सीबेन्जीन के नाम भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र $C_6H_6O_2$ है। विचाराधीन उत्पादक की सीएस संख्या 108-46-3 विचाराधीन उत्पाद सफेद से आफ वाइट फ्लेक्स के रूप में आता है और यह जल में घुलनशील है तथा व्युत्पन्न होने के अनुकूल है।
5. विचाराधीन उत्पाद एक मध्यवर्ती वस्तु है और टायरों में अंतिम प्रयोग तथा बांडिंग अनुप्रयोगों के लिए रेजिन के रूप में रबड़ उद्योग में यौगिक एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद को विशिष्ट थर्मोसेटिंग वुड अधेसिव रेजिन, प्लास्टिक में यूवी स्टेबलाइजर्स, डाई विनिर्माण में, भेषज, सौंदर्य प्रसाधन बनाने और अग्निरोधी पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
6. विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रियाओं के प्रयोग से उत्पादित किया जा सकता है:
 - i. सल्फोनेशन-फ्यूजन प्रक्रिया
 - ii. हाइड्रोपेरोक्सिडेशन प्रक्रिया
 - iii. एमपीडीए हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया
7. संबद्ध वस्तु को जो पूर्वोक्त प्रक्रिया से उत्पादित होती है, समान माना जाता है, जिसमें समान विनिर्देशन होते हैं और वह समान बाजार में एक जैसे उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करती है। इसलिए विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं के द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं है। आवेदक ने वर्तमान जांच में सल्फोनेशन-फ्यूजन प्रक्रिया के प्रयोग से संबद्ध वस्तु का विनिर्माण किया है।
8. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-1 के अध्याय 29 में एचएस कोड 2907 21 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी और प्रस्तावित पीसीएन के संबंध में अपनी टिप्पणियां यदि कोई हों, प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध देशों से आयातित और आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे उत्पाद को प्रथमदृष्ट्या समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

11. यह आवेदन अतुल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में समान वस्तु का एक मात्र उत्पादक है। आवेदक ने बताया है कि उसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। आवेदक चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के एक उत्पादक अर्थात् अतुल चाइना से संबंधित है। तथापि, संबंधित पक्षकार ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक ने बताया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। आवेदक ने परीक्षण प्रयोजनों के लिए 2021-22 के दौरान चीन जन. गण. में अपनी संबंधित कंपनी से संबद्ध वस्तु की नगण्य मात्रा का आयात किया।
12. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी प्रथमदृष्ट्या मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

13. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. और जापान है।

ड. जांच की अवधि

14. आवेदक ने 1 अप्रैल 2023 – 31 मार्च 2024 की अवधि का जांच अवधि के रूप में प्रस्ताव किया है। क्षति विश्लेषण अवधि में अप्रैल 2020 – मार्च 2021, अप्रैल 2021 – मार्च 2022, अप्रैल 2022 – मार्च 2023 और जांच की अवधि शामिल है।

च. प्रक्रिया

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

**छ. कथित पाटन के लिए आधार
चीन के लिए सामान्य मूल्य**

16. आवेदक ने अनुरोध किया कि चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश देना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में मौजूद है। जब तक चीन जन. गण. से उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया चाहिए।
17. अतः इस जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य को आवेदक की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके परिकल्पित किया गया है।

जापान के लिए सामान्य मूल्य

18. आवेदक ने दावा किया है कि जापान में प्रचलित कीमतों के संबंध में बिक्री कीमत या किसी अन्य सूचना के संबंध में जानकारी तक पहुंच नहीं है।
19. अतः जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ जापान के लिए सामान्य मूल्य की गणना आवेदक द्वारा प्रदान किए गए जापान से तीसरे देश को निर्यात के व्यापार मानचित्र डेटा के आधार पर की गई है।

निर्यात कीमत

20. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में सूचित सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं:
- i. समुद्री भाड़ा
 - ii. समुद्री बीमा
 - iii. कमीशन
 - iv. बैंक प्रभार
 - v. पत्तन व्यय
 - vi. अंतर्देशीय भाड़ा
21. इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत वर्तमान जांच के शुरुआत के प्रयोजनार्थ उचित है।

पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वारा स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करती है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में संबद्ध देश के विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

23. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने अनुरोध किया है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत पर कटौती हुई है जबकि घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्से को बहाल और पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों में भारी कटौती की है। संबद्ध आयात अधिकांश भारतीय बाजार पर कब्जा जमाए हुए हैं। आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमत पर ह्रासकार और न्यूनकारी दबाव डाला है जिसके कारण घरेलू उद्योग की लाभपद्रता में भारी गिरावट है। घरेलू उद्योग को जांच अवधि में वित्तीय घाटा हुआ है और घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भारी गिरावट दर्ज हुई है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराती है।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

24. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा, और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dir16-dgtr@gov.in और jd11-dgtr@gov.in तथा उनकी प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

26. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा विहित ढंग और तरीके के निर्धारित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. हितबद्ध पक्षकारों को यह कड़ा निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

30. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना/अनुरोध निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पत्तों dir16-dgtr@gov.in और jd11-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाले या निर्यातक देशों से उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
32. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत

व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर / अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

34. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
35. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
36. अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
37. हितबद्ध पक्षकार आवेदन / दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
38. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या गोपनीयता के दावे के पर्याप्त और उचित कारण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे के लिए रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
39. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
40. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

41. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों / उत्तर / सूचना का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें। अनुरोधों / उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार अपने जांच परिणाम जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)**

(Directorate General of Trade Remedies)

New Delhi, the 30 th September, 2024

INITIATION NOTIFICATION

Case No. AD (OI) - 25/2024

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Resorcinol originating in or exported from China PR and Japan.

F. No. 6/27/2024-DGTR – Atul Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules"), seeking initiation of an anti-dumping investigation on imports of Resorcinol (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or "subject goods"), originating in or exported from China PR and Japan (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports, originating in or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. Product under consideration

3. The product under consideration is Resorcinol.

4. The product under consideration is also known as 1,3-benzenediol; 1,3-dihydroxybenzene; 3-Hydroxyphenol; Resorcin Meta-Dihydroxybenzene and has a chemical formula $C_6H_6O_2$. The CAS number of the product under consideration is 108-46-3. The product under consideration comes in form of white to off-white flakes and is water soluble and conducive to derivatisation.
5. The product under consideration is an intermediate and acts as a compounding agent in the rubber industry for eventual use in tyres, and as resin for bonding applications. The product under consideration is also used as specialized thermosetting wood-adhesive resin, as UV stabilizers in plastics, in dyes manufacturing, pharmaceuticals, cosmetic preparations and as flame retardants.
6. The product under consideration can be produced using the following manufacturing processes.
 - i. Sulphonation-fusion process
 - ii. Hydroperoxidation process
 - iii. MPDA hydrolysis process
7. The subject goods produced by either of the abovementioned process is identical, with same specification and meets the requirements of same customers in the same market. Hence, there is no difference between the subject goods manufactured using different production process. The applicant in the present investigation manufactures subject goods using sulphonation-fusion process.
8. The subject goods are classified under Chapter 29 of Schedule I to the Customs Tariff Act under the HS code 2907 21 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration for the proposed investigation.
9. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

B. Like article

10. The applicant has stated that there are no significant differences in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject countries. The product produced by the applicant and that imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods imported from the subject countries and the goods manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the goods produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C. Domestic industry & standing

11. The application has been filed by Atul Limited. The applicant is the sole producer of the like article in India. The applicant has stated that it has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation. The applicant is related to a producer of subject goods in China PR, that is, Atul China. However, the related party has not exported the product under consideration to India during the period of investigation. Further, the applicant has stated that it is not related to any importer of the product under consideration in India. The applicant has imported negligible quantity of the subject goods from its related entity in China PR during 2021-22 for trial purposes.
12. In view of the above, the Authority *prima facie* considers that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. Subject countries

13. The subject countries for the present investigation are China PR and Japan.

E. Period of investigation

14. The applicant has proposed the period of 1st April 2023 – 31st March 2024 as the period of investigation. The injury analysis period covers April 2020 – March 2021, April 2021 – March 2022, April 2022 – March 2023 and the period of investigation.

F. Procedure

15. The provisions stipulated in of Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

G. Basis for alleged dumping

Normal value for China

16. The applicant has submitted that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
17. Therefore, for the purpose of initiation of this investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production of the applicant duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

Normal value for Japan

18. The applicant has claimed that it did not have access to information with regard to the selling price or, any other information with regard to prevailing prices in Japan.
19. Therefore, for the purpose of initiation, the normal value for Japan has been calculated based on the trade map data of export from Japan to third country provided by the applicant.

Export price

20. The export price of the subject goods from the subject countries has been determined by considering the CIF price reported in the DG Systems data. Price adjustment has been made on account of
- i. Ocean freight
 - ii. Marine insurance
 - iii. Commission
 - iv. Bank charges
 - v. Port expenses
 - vi. Inland freight
21. The export price so determined is appropriate for the purpose of initiation of the present investigation.

Dumping margin

22. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the subject goods imported from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

H. Injury and causal link

23. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The applicant has submitted that the imports are undercutting the prices of the domestic industry even though the domestic industry has drastically reduced its prices in order to retain and re-gain the market share. The subject imports are commanding majority of the Indian market. The imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry. Due to this the profitability of the domestic industry has declined significantly. The domestic industry has incurred financial losses in the period of investigation and the cash profits and return on capital employed of the domestic industry has registered a significant decline. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

I. Initiation of the anti-dumping investigation

24. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant, and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, consequential injury to the domestic industry and the causal link between alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. Submission of information

25. All communication should be sent to the Authority via email at email addresses dir16-dgtr@gov.in and jd11-dgtr@gov.in with a copy to adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel Format.
26. The known producers/exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiated notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
27. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed within the time limits mentioned in this initiation notification.
28. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
29. Interested parties are strongly advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in>) for any updated information with regard to this investigation.

K. Time Limit

30. Any information/submission relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dir16-dgtr@gov.in and jd11-dgtr@gov.in with a copy to adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the

Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

31. All interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
32. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the Rules and such request must come within the stipulated time mentioned in this notification.

L. Submission of information on confidential basis

33. 31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rules 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
34. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
35. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

37. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the application/documents.
38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
40. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

41. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. Non-Cooperation

42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority